

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-90/2012-  
प्रेषक,

/कृ०, पटना, दिनांक

दिसम्बर, 2015.

बी० कार्तिकेय, भा०प्र०सं०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री अंजनी बंका,  
मेसर्स बायर क्रॉप साइन्स लि०,  
द्वारा-एन०बी०कन्सर्न,  
भवनानी कॉमर्शियल कम्प्लेक्स,  
रेलवे हॉस्पिटल के सामने,  
राजेन्द्र पथ, पटना-800001  
E-mail: - praveenk.singh@bayer.com

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 180-181 दिनांक 28.08.2008 वैद्यता तिथि 31.12.2015 में इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत मेसर्स बायर क्रॉप साइन्स लि० के 7 एवं मेसर्स सरस्वती एग्रो केमिकल्स (इण्डिया) प्रा० लि० के 2 कीटनाशी अर्थात् कुल 9 कीटनाशियों का मेसर्स बायर क्रॉप साइन्स लि० के कीटनाशी बिक्री/भण्डारण अनुज्ञप्ति संख्या-180-181 दिनांक 28.08.2008 वैद्यता तिथि 31.12.2015 तक के लिए इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	कीटनाशी का नाम
1	मेसर्स बायर क्रॉप साइन्स लि०,	Fenoxaprop-p-ethyl 6.7% w/w EC
2		Tembotrione 34.4% w/w SC
3		Fluopicolide 4.44%+Fosetyl Aluminium 66.57% WG
4		Tebuconazole 5.36% w/w FS
5		Flubendiamide 19.92%+Thiacloprid 19.92% w/w SC
6		Ethephon 39% SL
7		Fosetyl-AL 80% WP
8	मेसर्स सरस्वती एग्रो केमिकल्स (इण्डिया) प्रा० लि०	Atrazine 50% WP
9		Buprofezin 25% SC

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स बायर क्रॉप साइन्स लि०, मौजा-सिमली मुरारपुर, प्लॉट नं०-515, NH-30, नियर दीदारगंज, चेक पोस्ट PS-मालसलामी, पटना, बार्दास रोड, पटना-800008

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिमाता, राज्य में उनके कन्सल्टेंट एजेंट/विक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

— ६० —

(बी० कार्तिकेय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

6124

/क०, पटना, दिनांक 30-दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।